vinetur

भारतीय अदालत ने Associated Alcohols की व्हिस्की और रम पर लगा प्रतिबंध अस्थायी रूप से निलंबित किया

अंतरिम रोक ने डिस्टिलर पर दबाव कम किया है और फिलहाल फ्लेवरिंग नियमों को लेकर व्यापक नियामकीय सख्ती की रफ्तार धीमी कर दी है।

गुरुवार, 13 अगस्त 2026



मध्य भारत की एक अदालत ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े उस प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया है, जिसने Associated Alcohols & Breweries द्वारा बनाए गए कुछ व्हिस्की और रम उत्पादों की बिक्री रोक दी थी। इससे कंपनी पर तत्काल दबाव कम हुआ है और देश के स्पिरिट्स बाजार में फ्लेवरिंग प्रथाओं को लेकर व्यापक नियामकीय दबाव की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ी है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतरिम आधार पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी FSSAI, के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसने कंपनी को अपनी कुछ व्हिस्की और रम ब्रांडों का विपणन करने से रोका था। अदालत ने 6

अगस्त को स्टे दिया, और मामले में दी गई समय-रेखा के अनुसार कंपनी को 12 अगस्त को इस फैसले की सूचना दी गई।

विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या Associated Alcohols & Breweries के कुछ उत्पाद भारतीय फ्लेवरिंग और लेबलिंग नियमों का पालन करते हैं और इसलिए उनकी बिक्री जारी रह सकती है। FSSAI ने 20 जुलाई को कंपनी को नोटिस जारी किया। Associated Alcohols ने 27 जुलाई को जवाब दिया। दो दिन बाद, 29 जुलाई को, नियामक ने उन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।

अदालत की यह कार्रवाई कंपनी की नियामकीय स्थिति को तुरंत बदल देती है, कम से कम तब तक जब तक मामले की सुनवाई चल रही है। यह इस पर अंतिम फैसला नहीं है कि व्हिस्की और रम भारतीय खाद्य एवं पेय मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। स्टे एक अस्थायी सुरक्षात्मक उपाय है, और विवाद के मूल मुद्दे पर अदालत बाद में विचार करेगी।

केंद्र सरकार के पास अब जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह हैं, जिससे यह मामला अपने अगले चरण में पहुंच गया है और भारत के अल्कोहल उद्योग में इस पर करीबी नजर रखी जाने की संभावना है। यह मुद्दा सिर्फ एक उत्पादक तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र के लिए एक संवेदनशील प्रश्न उठाता है : नियामक फ्लेवरयुक्त स्पिरिट्स को किस तरह वर्गीकृत करते हैं और लेबल उन पर क्या वर्णन करते हैं, ऐसे बाजार में जहां व्हिस्की और रम अब भी सबसे अधिक खपत वाली श्रेणियों में शामिल हैं।

पिछले कुछ महीनों में FSSAI ने मादक पेयों के निर्माण और उपभोक्ताओं के सामने उनकी प्रस्तुति को लेकर अधिक सख्त रुख अपनाया है। Associated Alcohols के खिलाफ आदेश को इसी प्रयास का हिस्सा माना गया था। अदालत के हस्तक्षेप से इस अभियान का तात्कालिक दायरा सीमित हो गया है, हालांकि केवल तब तक, जब तक न्यायाधीश यह तय नहीं करते कि क्या नियामक ने कानून का पालन किया और क्या उत्पाद स्वयं लागू मानकों पर खरे उतरते हैं।

Associated Alcohols & Breweries मध्य प्रदेश में स्थित है, जो भारत के प्रमुख शराब-उत्पादक राज्यों में से एक है। वहां और अन्य जगहों पर उत्पादकों के लिए यह मामला व्यावसायिक संचालन और खाद्य विनियमन के बीच के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है, ऐसे बाजार में जहां मंजूरियां, घटक-परिभाषाएं और लेबल की भाषा सीधे तय कर सकती हैं कि कोई बोतल दुकानों की अलमारियों पर बनी रहेगी या नहीं।

अदालत की यह रोक खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फिलहाल कंपनी की उस क्षमता को बनाए रखती है जिससे वह कानूनी चुनौती के दौरान प्रभावित उत्पादों का विपणन जारी रख सके। अगर यह राहत न मिलती, तो 29 जुलाई का FSSAI आदेश लागू रहता और विवाद के शुरुआती चरण में उत्पाद बाजार से बाहर रहते।

प्रभावित केसों की संख्या, मौजूदा स्टॉक स्तर, इन उत्पादों से जुड़ी बिक्री या कंपनी पर किसी वित्तीय असर के बारे में कोई सार्वजनिक आंकड़े जारी नहीं किए गए। उपलब्ध जानकारी अब तक उठाए गए नियामकीय और कानूनी कदमों तक सीमित है : 20 जुलाई को FSSAI का नोटिस, 27 जुलाई को कंपनी का जवाब, 29 जुलाई को नियामक का प्रतिबंध, 6 अगस्त को उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक, और 12 अगस्त को उस रोक की सूचना।

भारतीय स्पिरिट्स निर्माताओं के लिए यह मामला इस बात की शुरुआती परीक्षा बन गया है कि अंतिम न्यायिक समीक्षा से पहले FSSAI फ्लेवरिंग और लेबलिंग नियमों की अपनी व्याख्या को लागू करने में कितनी दूर तक जा सकता है। उपभोक्ताओं और वितरकों के लिए तात्कालिक असर सीमित लेकिन स्पष्ट है: Associated Alcohols की व्हिस्की और रम उत्पादों पर लगाया गया विशिष्ट प्रतिबंध फिलहाल रोक दिया गया है, केंद्र सरकार के जवाब और उच्च न्यायालय में आगे की कार्यवाही तक।